रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 5, 1971 (ज्येष्ठ 15, 1893)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 5, 1971 (JYAISTHA 15, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

(PART III—SECTION 4)

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

सूचना

बम्बई, दिनांक 18 मई 1971

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री डी० आर० संपतकृष्णन् दिनांक 18 मई, 1971 से केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में उप-शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये ।

टी० आर० वरदाचारी, प्रबन्ध निदेशक

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 मई 1971

सं० 4 सी० ए० (1) 4/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	128	श्री विष्णु विट्ठल सोहोनी, ए० सी० ए०, सोपकीपर्स सोवानीस जनम निवास हाउस, अम्बूताई मेहेनडेले रोड, राधाकृष्ण एक्सटेन्शन, सांगली	13-1-71

सं० 4 सी० ए० (I)/5/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उप-धारा 1 खंड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम सदस्यों की अपनी प्रार्थना पर प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	1794	श्री व्ही० नारायण अय्यर, 4, मगन विहार, मॉटुगा, बम्बई-19	31-3-71
2.	6699	श्री जौन हेवार्ड ब्लाक, 6-ए०, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16	29-3-71

सं० 8 सी० ए०(1)/2/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	8422	श्री पी०रघुवीरा राव, ए०सी०ए०, सन्डीकेट बैंक, रजिस्टर्ड कार्यालय, मनीपाल (एस० के०)	7-4-71 से 30-6-71
2.	10190	श्री भरत बी० भट्ट, ए०सी०ए०, 54, बालासिनोर सोसायटी, स्वामी विवेकानन्द रोड़, कान्डीवली (पश्चिम), बम्बई-67	17-4-71 से 30-6-71
3.	11613	श्री एम० गनेसन, ए०सी०ए०, द्वारा के०एस०रामास्वामी अय्यर, 34, नम्मलवार स्ट्रीट, मदरास-1	31-3-71 से 30-6-71

सी० बालाकृष्णनन्, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1971

सं० जी०/सी०बी० 1/228/70—ससंदर्भ इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक जी०/सी० बी० 1/228/70 दिनांक 26-6-70 क्रमांक 8 पर अंकित स्थानीय कार्यालय का नाम पेटलाद के स्थान पर केम्बे पढ़ा जाये ।

आज्ञा से
कुलवन्त सिंग
प्रादेशिक निदेशक
एवं
सचिव, कर्मचारी
राज्य बीमा निगम
क्षेत्रीय मण्डल
अहमदाबाद-9

कृषि पुनर्वित्त निगम

[कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) के अधीन निगमित]

(बांडों का निर्गम और प्रबंध) विनियमावली, 1969

कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्नलिखित विनियामावली बनाते हुए कृषि पुनर्वित्त निगम के निदेशक-बोर्ड को हर्ष होता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रयुक्ति :

(1) यह विनियमावली कृषि पुनर्वित्त निगम (बांडों का निर्गम और प्रबंध) विनियमावली, 1969 कहलायी जाएगी ।

(2) यह विनियमावली कृषि पुनर्वित्त निगम, 1963 की धारा 20 की उप धारा (1) के खंड (क) के अधीन निगम द्वारा जारी किये जानेवाले और बेचे जानेवाले बांडों पर लागू होगी ।

2. **परिभाषाएं :**

इस विनियमावली में जब तक कि विषय या प्रसंग से कोई बात विरुद्ध न हो :—

(क) "अधिनियम" से कृषि पुनर्वित्त अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है;

(ख) "बांडों" से अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1) के खंड (क) के अधीन निगम द्वारा जारी किये जाने वाले या बेचे जाने वाले बांड अभिप्रेत हैं;

(ग) "निगम" से अधिनियम के अधीन स्थापित कृषि पुनर्वित्त निगम अभिप्रेत है;

(घ) "विरूपित बांड" से वह बांड अभिप्रेत है जिसके मूर्त भाग अपाठ्य और अस्पष्ट हो गये हों और बांड के मूर्त भाग में होते हैं जहां :—

(i) बांड के निर्गम से संबंधित संख्या और बांड का अंकित मूल्य या ब्याज की अदायगी दर्ज की जाती हो, या

(ii) पृष्ठांकन या प्राप्तिकर्त्ता का नाम लिखा जाता हो, या

(iii) जिन पर नवीकरण रसीद या अंतरण शापन दिया जाता हो ।

(ङ) "फ़ार्म" से इस विनियमावली की अनुसूची में निर्धारित फ़ार्म अभिप्रेत है;

(च) "खो गया बांड" से वह बांड अभिप्रेत है जो वास्तव में खो गया हो और वह बांड अभिप्रेत नहीं है जो दावेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो;

(छ) "विकृत बांड" से वह बांड अभिप्रेत है जिसके मूर्त भाग विकृत, फटे या बिगड़े हों;

(ज) "निर्गम कार्यालय" से निगम का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसकी बहियों में बांड की रजिस्ट्री की गयी हो या की जाएगी ;

(झ) "निर्धारित अधिकारी" से निगम का प्रबंध निदेशक या ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जो निगम के निदेश बोर्ड द्वारा विनियम 10, 11, 12, 13, 15, 16 और 17 के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत किए जाएं ;

(ञ) "स्टाक प्रमाणपत्र" से विनियम 3 के अधीन जारी किया जाने वाला स्टाक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

3. बांडों का रूप और उनके हस्तांतरण की प्रणाली आदि :

(1) बांड

(क) किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय वचनपत्र के रूप में; या

(ख) निगम की बहियों में रजिस्ट्रीकृत स्टाक जिसके लिए स्टाक प्रमाणपत्र जारी किए गए हों, के रूप में जारी किया जा सकता है ।

(2) (i) वचनपत्र के रूप में जारी किया गया बांड आदेश पर देय वचनपत्र की तरह पृष्ठांकन और दाति द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा

(ii) वचनपत्र के रूप में जारी किये गये बांड पर की गई कोई लिखावट बेचान के उद्देश्य के लिए वैध नहीं होगी, यदि ऐसी लिखावट का अभिप्राय बांड द्वारा अभिहित रकम के मात्र एक अंश के हस्तांतरण से हो ।

(3) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया गया और निगम की बहियों में रजिस्ट्रीकृत बांड फ़ार्म V में हस्तांतरण के दस्तावेज का निष्पादन कर या तो पूर्णतः या अंशतः हस्तांतरित किया जाएगा । ऐसे मामलों में जब तक हस्तांतरी का नाम निगम द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता तब तक हस्तांतरक को स्टाक के रूप में जारी किये गये हस्तान्तरण से संबंधित बांडों का धारक माना जायगा ।

(4) (i) बांड निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाएगा और वह हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्णित लिथो किया हुआ या निगम के निदेशानुसार किसी दूसरी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अंकित रहेगा ।

(ii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्णित, लिथो किया हुआ या दूसरे प्रकार से अंकित हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध रहेगा मानो वह हस्ताक्षरकर्ता के अपने ही उचित हस्तलेख में अंकित किया गया हो ।

(5) वचनपत्र के रूप में रहने वाले बांड का कोई पृष्ठांकन या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में रहने वाले बांड के मामले में हस्तांतरण का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक उसका निष्पादन वचनपत्र के रूप में रहने वाले बांड के मामले में बांड के ही पीछे और स्टाक प्रमाणपत्र के मामले में हस्तांतरण लिखित पर धारक या उसके विधि सम्मत अटार्नी या प्रतिनिधि के अंकित हस्ताक्षर के साथ न कर दिया जाए ।

4. न्यास जो मान्यता प्राप्त न हो :

(i) किसी बांड के धारक के पूर्ण अधिकार से रहित बांड के संबंध में किसी न्यास या किसी अधिकार को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए निगम बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा भले ही उसे उसकी सूचना प्राप्त हुई हो ।

(ii) उप विनियम (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम अनुग्रह के तौर पर और निगम पर कोई दायित्व डाले बिना स्टाक के रूप में जारी किये गये बांड के धारक द्वारा स्टाक के ब्याज या पुगाई मूल्य की अदायगी या स्टाक के हस्तान्तरण के संबंध में दिये गये किसी निदेश या स्टाक से संबंधित ऐसी दूसरी बातों को जिन्हें निगम उचित समझे, अपनी बहियों में दर्ज कर सकेगा ।

5. स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किये गये बांडों के, न्यासियों और पदधारियों द्वारा धारण किये जाने के संबंध में उपबंध :

(1) कोई पदधारी स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में रहनेवाले किसी बांड को—

(क) निगम की बहियों में या स्टाक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में अर्थात् अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में अथवा ऐसी किसी योग्यता के बिना ही न्यासी के रूप में दिये हुए अपने वैयक्तिक नाम पर, अथवा

(ख) अपने पद के नाम पर, धारण कर सकेगा ।

(2) निगम द्वारा अपेक्षित फार्म में उस व्यक्ति द्वारा निगम को लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर जिसके नाम पर बांड हो और बांड के अभ्यर्पित किये जाने पर, निगम—

(क) उसे अपनी बहियों में निर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी न्यास के विनिर्देश के बिना ही न्यासी के रूप में दर्ज कर सकेगा और न्यास के विनिर्देश के साथ या विनिर्देश के बिना यथास्थिति, न्यासी के रूप में उल्लिखित उसके नाम पर स्टाक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, या

(ख) उसे उसके पद के नाम पर स्टाक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और उसे अपनी बहियों में आवेदक की प्रार्थना के अनुसार उसके पद के नाम पर स्टाक के धारक के रूप में उल्लिखित करते हुए दर्ज कर सकेगा बशर्ते कि,

(i) उक्त प्रार्थना यहां दिये हुए उप विनियम (1) के उपबंधों के अनुरूप हो;

(ii) उप विनियम (7) के अनुसरण में निगम द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रमाण पेश किया गया हो; और

(iii) यदि बांड वचनपत्र के रूप में हो तो उसे निगम के नाम पृष्ठांकित किया गया हो और यदि बांड स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में हो तो उसके लिए रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा फ़ार्म X में रसीद दी गयी हो।

(3) उप विनियम (1) के अधीन स्टाक प्रमाणपत्र पदधारी द्वारा या तो अकेले या दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी पदधारी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

(4) जब कोई स्टाक किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के नाम पर धारित किया जाता हो तब संबंधित स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज का सांप्रतिक रूप से पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उस नाम पर जिस पर स्टाक प्रमाणपत्र का धारक किया गया हो इस प्रकार किया जा सकेगा मानो उसका व्यक्तिगत नाम इस प्रकार बताया जाता हो।

(5) यदि निगम की बहियों में न्यासी या पदधारी के रूप में उल्लिखित किये गये स्टाक प्रमाणपत्र धारक द्वारा निष्पादित प्रतीत होने वाला कोई हस्तांतरण—विलेख, अभिकरण-पत्र या दूसरा दस्तावेज निगम को पेश किया जाता है तो निगम को इस बात की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या स्टाक धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों की शर्तों के अधीन कोई ऐसा अधिकार देने अथवा ऐसा विलेख या दूसरा दस्तावेज निष्पादित करने का अधिकारी है, और निगम ऐसे हस्तांतरण-विलेख अभिकरण-पत्र या दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा मानो निष्पादक स्टाक प्रमाणपत्र धारक हो, चाहे हस्तांतरण-विलेख,अभिकरण-पत्र या दस्तावेज में स्टाक प्रमाणपत्र के धारक की न्यासी या पदधारी के रूप में उल्लिखित किया गया हो या नहीं और चाहे वह न्यासी या पदधारी की अपनी हैसियत से हस्तांतरण-विलेख, अभिकरणपत्र या दस्तावेज निष्पादित करने का उद्देश्य रखता हो या नहीं।

(6) इन विनियमों में से कोई विनियम किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के अधीन आने वाले न्यासियों और पदधारियों के बीच या न्यासियों या पदधारियों और हिताधिकारियों के बीच में से किसी न्यासी या पदधारी को न्यास का गठन करने वाले अधिकार-पत्र की शर्तों को न्यास पर लागू करने वाली विधि के नियमों या उस संस्था के नियमों जिसका स्टाक प्रमाणपत्र धारक पदधारी हो, से इतर प्रकार से कार्रवाई करने का प्राधिकार देता हुआ नहीं माना जाएगा, और निगम या किसी स्टाक प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का हित रखने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर किसी स्टाक प्रमाणपत्र या किसी स्टाक प्रमाण-पत्र धारक के संबंध में निगम द्वारा रखे जाने वाले किसी रजिस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि मात्र या स्टॉक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज में उल्लिखित किसी बात के कारण मात्र से किसी न्यास या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र धारक के न्यासी-स्वरूप या किसी स्टॉक प्रमाण पत्र के धारण से सम्बन्धित किसी न्यासीदायित्व की सूचना से प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) किसी पदधारी व्यक्ति द्वारा इस विनियम के अनुसरण में किये गये किसी आवेदन या निष्पादित प्रतीत होने वाले किसी दस्तावेज पर कार्रवाई करने के पहले निगम यह अपेक्षा करेगा कि इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि ऐसा व्यक्ति संप्रति उस पद का अधिकारी है।

6. धारक होने के लिए अपात्र व्यक्ति :

कोई भी नाबालिग व्यक्ति या सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया व्यक्ति बांडों का धारक बनने का अधिकारी नहीं होगा।

7. ब्याज की अदायगी :

(1) वचनपत्र के रूप में रहने वाले बांड पर निर्गम कार्यालय या बांड के विवरण पत्र में उल्लिखित निगम के किसी दूसरे कार्यालय द्वारा ब्याज अदा किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि बांड का धारक निगम की अपेक्षानुसार औपचारिकताओं का पालन करे और बांड प्रस्तुत करे।

(2) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में रहने वाले बांड पर निगम द्वारा जारी किये गये और रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिदेय अधिपत्रों द्वारा ब्याज अदा किया जायगा। ब्याज की अदायगी के समय स्टाक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु प्राप्तिकर्ता अधिपत्र के पीछे रसीद देगा।

8. वचन पत्र के रूप में रहने वाले बांड के खो जाने, आदि पर क्रिया विधि :

(1) किसी ऐसे बांड के स्थान पर जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह अंशतः या पूर्णतः खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विकृत अथवा विरूपित हुआ है, उसकी अनुलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निर्गम कार्यालय के नाम भेजा जायगा और उसमें निम्नलिखित विवरण दिये जाएंगे :—

(क) निम्नलिखित फ़ार्म के अनुसार बांड के विवरण :—

रु०.....के..... प्रतिशत बांड.....संख्या ..... के लिए बांड;

(ख) पिछली किस छमाही का ब्याज अदा किया गया है ?

(ग) किस व्यक्ति को उक्त ब्याज अदा किया गया ?

(घ) किस व्यक्ति के नाम बांड जारी किया गया था (यदि ज्ञात हो) ?

(ङ) बांड के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट होने, विकृत या विरूपित होने की परिस्थितियां; और

(च) क्या बांड के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी ?

(2) ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित पत्र भेजे जायेंगे :—

(क) यदि बांड रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किये जाने के दौरान खो गया हो तो बांड के साथ प्रेषित पत्र की डाक घर से प्राप्त रजिस्ट्री रसीद;

(ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि;

(ग) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के सामने ली गयी शपथ का ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक बांड का अन्तिम वध धारक है, और रजिस्ट्रीकृत धारक के अधिकार का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्य; और

(घ) खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड का कोई बचा हुआ भाग या टुकड़े ।

9. राजपत्र में अधिसूचना :

वचन पत्र के रूप में रहने वाले बांड या उसके किसी भाग के खो जाने, चोरी होने, नष्ट हो जाने विकृत या विरूपित हो जाने की अधिसूचना भारतीय राजपत्र और उस स्थान जहां बांड खो गया, चुराया गया, नष्ट हुआ, विकृत या विरूपित हुआ, के स्थानीय सरकारी राजपत्र, यदि कोई हो, के लगातार तीन अंकों में आवेदक द्वारा अधिसूचित की जाएगी । ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित फ़ार्म में या लगभग ऐसे फ़ार्म में होगी जो परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो :—

"खो गया", (यथास्थिति "चुराया गया", "नष्ट हुआ", "विकृत हुआ" या "विरूपित हुआ")

कृषि पुनर्वित्त निगम का रु०.....का .....प्रतिशत बांड स०..... जो मूलतः श्री.....के नाम पर है और अंतिम बार स्वत्वधारी श्री..... को पृष्ठांकित किया गया है जिसने इसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम कभी पृष्ठांकित नहीं किया है, खो गया है (चुराया गया है, नष्ट हो गया है, विकृत या विरूपित हो गया है), अतः इसके जरिये यह सूचना दी जाती है कि निगम कार्यालय में उपर्युक्त बांड तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी रोक दी गयी है और इसके स्वत्वधारी के नाम पर इसकी एक अनुलिपि जारी किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाने वाला है या किया गया है । जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वह न तो उपर्युक्त बांड को खरीदे और न ही उससे संबंधित कोई लेन-देन करे ।

अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम.....
आवास .....

10. बांड की अनुलिपि जारी करना और क्षतिपूर्ति स्वीकार करना :—

(1) विनियम 9 में निर्धारित अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के बाद यदि नियत अधिकारी को बांड के खो जाने, चोरी होने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में और आवेदक के दावे के औचित्य के संबंध में संतोष हो जाए तो वह विनियम 12 के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सूची में इस बांड के विवरण को शामिल करायेगा और निर्गम कार्यालय को यह आदेश देगा कि—

(क) यदि बांड का एक भाग ही खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विकृत या विरूपित हुआ है और यदि उसका कोई ऐसा भाग प्रस्तुत किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो इसमें आगे उल्लिखित क्षतिपूरण बांड के निष्पादित किए जाने पर विनियम 12 के अधीन सूची के प्रकाशन के तुरन्त बाद अथवा उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से लेकर जितनी अवधि नियत अधिकारी आवश्यक समझे उतनी अवधि की समाप्ति के बाद उस बांड के बदले में जिसका कोई भाग खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विकृत या विरूपित हुआ है, आवेदक को उसकी अनुलिपि जारी की जाय और ब्याज की अदायगी की जाय;

(ख) यदि इस प्रकार खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड का कोई भी ऐसा भाग प्रस्तुत न किया गया हो जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो तो —

(I) उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्षों के बाद और इसमें आगे निर्धारित पद्धति

के अनुसार क्षतिपूरण बांड के निष्पादित किये जाने पर, इसमें आगे बतायी गई व्यवस्था के अनुसार चार वर्षों की अवधि समाप्त होने तक, आवेदक को इस प्रकार खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड के संबंध में ब्याज अदा किया जाये; और

(II) उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से चार वर्षों के बाद आवेदक को इस प्रकार खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित बांड की अनुलिपि जारी की जाये; परन्तु —

(i) जिस तारीख को बांड की वापसी अदायगी की जानी हो वह यदि उक्त चार वर्षों की अवधि की समाप्ति के पहले पड़ती हो तो पूर्वोक्त तारीख से छः सप्ताहों के अंदर नियत अधिकारी बांड पर देय मूल राशि को डाक घर बचत बैंक में जमा रखेगा और उस राशि को उक्त बैंक में उस पर प्रोदभूत ब्याज के साथ आवेदक को उस समय वापस अदा करेगा जब बांड की अनुलिपि अन्यथा जारी की गई होती, और

(ii) यदि किसी समय बांड की अनुलिपि जारी किए जाने से पहले मूल बांड खोज लिया जाता है या निर्गम कार्यालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य किन्हीं कारणों से आदेश रद्द किया जाना चाहिए तो सारा मामला नियत अधिकारी के पास और विचारार्थ भेजा जाएगा और इस बीच इस आदेश से संबंधित सारी कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। इस उप-विनियम के अधीन जारी किया गया आदेश इसमें उल्लिखित चार वर्षों की अवधि समाप्त होने पर अंतिम होगा बशर्ते कि इस बीच उस आदेश को रद्द या अन्यथा संशोधित नहीं किया जाता।

(2) यदि नियत अधिकारी को पर्याप्त कारण दिखाई पड़े तो वह किसी बांड की अनुलिपि जारी करने के पहले किसी भी समय इस विनियम के अधीन जारी किये गये अपने आदेश में परिवर्तन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है और यह भी निदेश दे सकता है कि बांड की अनुलिपि जारी करने के पहले के अवकाश को चार वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि तक बढ़ाया जाए जिसे वह उचित समझे।

(3) क्षतिपूरण बांड :

(i) (क) जब उप-विनियम (1) (क) के अधीन निष्पादित किया जाए तब वह संबंधित ब्याज की रकम की दुगुनी राशि के लिए अर्थात् उस बांड पर प्रोद्भूत देय ब्याज की सारी पिछली रकम की दुगुनी राशि तथा उस अवधि में, जो बांड की अनुलिपि जारी करने के पहले व्यतीत होनी होगी, उस बांड पर प्रोद्भूत देय ब्याज की सारी रकम की दुगुनी राशि के लिए होगा, और

(ख) अन्य सभी मामलों में, बांड के अंकित मूल्य की दुगुनी राशि तथा खण्ड (क) के अनुसार संगणित ब्याज की रकम की दुगुनी राशि के लिए होगा।

(ii) नियत अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसा क्षतिपूरण बांड, केवल आवेदक द्वारा अथवा आवेदक और अपने द्वारा अनुमोदित एक या दो ऐसे जामिनों द्वारा निष्पादित किया जायेगा जिन्हें वह उचित समझे।

11. स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में रहने वाले बांड के खो जाने, आदि पर क्रियाविधि :

(1) किसी ऐसे स्टाक प्रमाणपत्र के स्थान पर जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह अंशतः या पूर्णतः खो गया है, चुराया गया है, नष्ट हुआ है, विकृत अथवा विरूपित हुआ है उसकी अनुलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निर्गम कार्यालय के नाम भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित पत्र भेजे जाएंगे :—

(क) यदि स्टाक प्रमाणपत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किये जाने के दौरान खो गया हो तो स्टाक प्रमाणपत्र के साथ प्रेषित पत्र की डाक घर से प्राप्त रजिस्ट्री रसीद;

(ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि;

(ग) मजिस्ट्रेट के सामने ली गई शपथ का ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक स्टाक प्रमाणपत्र का वैध धारक है और स्टाक प्रमाणपत्र न तो उसके कब्जे में है और न ही उसने उसे हस्तांतरित

किया है, रेहन रखा है या अन्य प्रकार से उस पर कोई लेन-देन किया है; और

(घ) खो गये, चुराये गये, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित स्टाक प्रमाणपत्र के कोई बचे हुए भाग या टुकड़े ।

(2) स्टाक प्रमाणपत्र के खो जाने की परिस्थितियों के संबंध में आवेदन पत्र में लिखा जायेगा ।

(3) यदि नियत अधिकारी को स्टाक प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में संतोष हो जाए तो वह मूल प्रमाणपत्र के बदले में उसकी अनुलिपि जारी करने का निदेश देगा ।

12. सूची का प्रकाशन :

(1) विनियम 10 में उल्लिखित की गयी सूची भारतीय राजपत्र में अर्धवार्षिक रूप से जनवरी और जुलाई में अथवा उसके बाद सुविधानुसार शीघ्र ही प्रकाशित की जायेगी ।

(2) विनियम 10 के अधीन जिन बांडों के संबंध में आदेश जारी किया गया हो वे सभी बांड आदेश जारी किये जाने के बाद प्रकाशित होने वाली पहली सूची में शामिल किये जाएंगे और उसके बाद उन बांडों को बाद की प्रत्येक सूची में प्रथम प्रकाशन की तारीख से चार वर्षों की अवधि समाप्त होने तक बराबर शामिल किया जाएगा ।

(3) सूची में शामिल किये गये प्रत्येक बांड के संबंध में उसमें निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे अर्थात् निर्गम का नाम, बांड की संख्या, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे बांड जारी किया गया था किस तारीख से उस पर ब्याज देय होता है, अनुलिपि के लिए आवेदन करने वाले का नाम, नियत अधिकारी द्वारा ब्याज की अदायगी अथवा अनुलिपि जारी करने के लिए दिये गये आदेश की संख्या और तारीख और उस सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें वह बांड पहली बार शामिल किया गया था ।

13. विकृत बांड को ऐसे बांड के रूप में निर्धारित करना जिसकी अनुलिपि का जारी किया जाना आवश्यक है :

यह बात नियत अधिकारी के विकल्प के अधीन रहेगी कि वह विकृत या विरूपित बांड को ऐसे बांड के रूप में माने जिसकी विनियम 10 के अधीन अनुलिपि का जारी किया जाना अथवा विनियम 16 के अधीन केवल नवीकरण किया जाना आवश्यक है ।

14. वचन पत्र के रूप में रहने वाले बांड का नवीकरण कराने की कब आवश्यकता होगी ?

(1) निर्गम कार्यालय वचन पत्र के रूप में रहने वाले बांड के किसी धारक से निम्नलिखित अवस्थाओं में वचनपत्र का नवीकरण कराने हेतु उस पर रसीद लिखने को कह सकता है —

(क) जब बांड के पीछे केवल एक और पृष्ठांकन के लिए ही पर्याप्त जगह बची हो या जब कोई शब्द बांड पर वर्तमान पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों के ऊपर लिखा हो ;

(ख) जब निर्गम कार्यालय के विचार से बांड फटा हुआ हो या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त या लिखाई से भरा हुआ हो या ठीक न हो ;

(ग) जब कोई पृष्ठांकन साफ और स्पष्ट न हो या यथास्थिति प्राप्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ताओं के नाम न दर्शाता हो या बांड के पीछे पृष्ठांकन खानों में से किसी एक खाने में न करके किसी और तरीके से किया गया हो;

(घ) जब बांड पर देय ब्याज की राशि दस वर्ष या उससे अधिक समय तक आहरित न की गई हो;

(ङ) बांड के पीछे दिये गये ब्याज खाने पूरी तरह भर चुके हों या ब्याज आहरित करने के लिए बांड के प्रस्तुत किये जाने की तारीख को जिन अर्धवर्षों का ब्याज देय हो गया हो, उसके साथ बांड के पीछे छपे खाली रहने वाले खाने मेल न खाते हों ;

(च) जब ब्याज की अदायगी के लिए तीन बार मुखांकित हो चुकने के बाद बांड फिर मुखांकन के लिए प्रस्तुत किया गया हो; और

(छ) जब निर्गम कार्यालय के विचार में ब्याज की अदायगी के लिए बांड को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हक अनियमित हो या पूर्णतया सिद्ध न हो ।

(2) जब उप-विनियम (1) के अंतर्गत बांड का नवीकरण कराने का अधियाचन किया गया हो, तब उस पर देय ब्याज की अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक उस पर नवीकरण के लिए रसीद न लिख दी गई हो और वास्तव में उसका नवीकरण नहीं किया गया हो ।

15. किसी मृत एकमात्र धारक के बांड पर किस व्यक्ति के हक को मान्यता दी जा सकती है :

(1) किसी बांड के मृत एकमात्र धारक (चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, पारसी या अन्य हो) के निष्पादक या प्रशासक और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग X के अधीन बांड के लिए जारी किये गये उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निर्गम कार्यालय बांड का हकदार होने की (निर्धारित

अधिकारी के किन्हीं सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन) मान्यता दे सकता है।

(2) भारतीय करार अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में विहित किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक धारकों के नाम जारी किये गये, बेचे गये, या देय स्वीकृत किये गये बांड के मामले में एक से अधिक उत्तरजीवी या एक उत्तरजीवी और अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद उसके निष्पादक, प्रशासक या अन्य कोई व्यक्ति ही जो उस बांड के उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक, हो, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निर्गम कार्यालय बांड का हकदार होने की (निर्धारित अधिकारी के किन्हीं सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन) मान्यता दे सकता है।

(3) निर्गम कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक उन्होंने, यथास्थिति, भारत के किसी ऐसे सक्षम न्यायालय या कार्यालय से जिसका निर्गम कार्यालय के स्थान पर अधिकार हो, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त न किया हो। फिर भी, किसी भी मामले में जब निर्धारित अधिकारी अपने परिपूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, तब प्रोबेट, प्रशासन-पत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व के प्रस्तुत किये जाने से, क्षतिपूर्ति की शर्त पर, या अन्यथा ऐसी शर्तों पर जो भी उसे ठीक लगे, छूट देना, उसके लिए वैध होगा।

16. नवीकरण आदि के लिए रसीद :

(1) निर्धारित अधिकारी के किन्हीं सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन धारक के आवेदन पर निर्गम कार्यालय अपनी आज्ञा से —

(क) धारक द्वारा वचनपत्र या वचनपत्रों के रूप में रहने वाले बांड या बांडों के सौंपे जाने पर और अपने दावे के औचित्य के संबंध में निर्गम कार्यालय को संतुष्ट करा दिये जाने पर, वचनपत्र या वचनपत्रों का नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन कर सकता है, बशर्ते कि वचनपत्र या वचनपत्रों पर, यथास्थिति, फ़ार्म i, ii, या iii में रसीद लिख दी गई हो, अथवा

(ख) वचनपत्र या वचनपत्रों को स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों में बदल सकता है बशर्ते कि वचनपत्र या वचनपत्रों पर निम्नलिखित पृष्ठांकन कर दिया गया हो —
"कृषि पुनर्वित्त निगम को अदा किया जाये"
अथवा

(ग) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों का नवीकरण, उप-विभाजन, या समेकन कर सकता है बशर्ते कि स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों पर यथास्थिति, फ़ार्म vi, vii या viii में रसीद लिख दी गई हो, अथवा

(घ) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों को वचनपत्र या वचनपत्रों में बदल सकता है बशर्ते कि स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाण-पत्रों पर फ़ार्म IX में रसीद लिख दी गई हो, अथवा

(ङ) एक श्रेणी के बांडों को दूसरी श्रेणी के बांडों में बदल सकता है बशर्ते कि—

(i) अंतर श्रेणी परिवर्तन अनुमत हो, और

(ii) ऐसे परिवर्तन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया गया हो;

(2) निर्धारित अधिकारी की आज्ञा से निर्गम कार्यालय उप-विनियम (1) के अधीन किसी बांड का नवी-करण, उप-विभाजन या समेकन करने के लिए आवेदक से अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक या अधिक जामिनों के साथ फ़ार्म IV में क्षतिपूरण बांड निष्पादित करवा सकता है।

17. हक के संबंध में विवाद उठने पर बांड का नवीकरण :

जिस बांड के नवीकरण के लिए आवेदन किया गया हो यदि उस बांड की हकदारी के संबंध में विवाद हो तो, निर्धारित अधिकारी

(क) विवाद से संबंधित किसी ऐसी पार्टी के नाम नवी-कृत बांड जारी कर सकता है जिसने सक्षम अधि-कार क्षेत्र के न्यायालय से ऐसे बांड का हकदार होने का अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया हो, अथवा

(ख) ऐसे निर्णय प्राप्त न कर लेने तक बांड का नवी-करण करने से मना कर सकता है।

व्याख्या :

इस विनियम के उद्देश्य के लिए 'अंतिम निर्णय' का तात्पर्य उस निर्णय से है जिसकी अपील नहीं हो सकती अथवा उस निर्णय से है जिसकी अपील तो हो सकती है परन्तु जिसके संबंध में विधि द्वारा स्वीकृत अवधि-सीमा के भीतर अपील नहीं की गई हो।

18. नवीकृत बांड के संबंध में बाध्यता आदि :

जब किसी व्यक्ति के नाम विनियम 10 के अधीन बांड की अनुलिपि जारी की गयी हो अथवा नवीकृत बांड जारी किया गया हो अथवा विनियम 16 के अधीन उप-विभाजन या समेकन होने पर या नया बांड जारी किया गया हो तब इस तरह जारी किया गया बांड निगम तथा ऐसे व्यक्ति और तत्पश्चात् उसके द्वारा हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नया करार माना जाएगा।

19. उन्मुक्ति :

जिस बांड या जिन बांडों की अदायगी अवधि समाप्त होने पर कर दी गई है या जिसके/जिनके बदले अनुलिपि, नवी-

कृत, उप-विभाजित या समेकित बांड जारी कर दिया गया है/ दिये गये हैं, उसके/उनके प्रति सारे दायित्व से निगम निम्न प्रकार उन्मुक्त कर दिया जायेगा ।

(क) अदायगी के मामलों में जिस तारीख को अदायगी होनी थी उससे 4 वर्ष बीत जाने पर,

(ख) अनुलिपि बांड जारी करने के मामले में विनियम 12 के अधीन उस सूची के प्रकाशन की तारीख से जिसमें बांड का पहली बार उल्लेख किया गया था, या मूल बांड पर ब्याज की अदायगी की तारीख से, जो भी बाद की हो, 4 वर्ष बीत जाने पर,

(ग) नवीकृत बांड अथवा उप-विभाजन या समेकन होने पर जारी किये गये नये बांड के मामले में, उसके जारी होने की तारीख से 4 वर्ष बीत जाने पर ।

20. ब्याज के संबंध में उन्मुक्ति :

बांड की शर्तों में स्पष्ट रूप से अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बांड पर उस तारीख के बाद समाप्त हुई किसी अवधि के लिए ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा जिस तारीख को पहले पहल उस बांड पर देय रकम की मांग की जा सकती थी ।

21. बांड की उन्मुक्ति :

जब किसी बांड का मूलधन देय हो जाय तब उस बांड को उसके पीछे धारक के विधिवत हस्ताक्षर होने के बाद निगम के उस कार्यालय में जहां उस पर ब्याज देय हो या निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

22. निगम की ओर से शक्तियों का प्रयोग :

निगम द्वारा विनियम 4(ii), 5(2), 5(7) और 7(1) के अधीन प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग निगम की ओर से निगम के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध-निदेशक द्वारा किया जा सकता है ।

अनुसूची

फार्म I

[विनियम 16(1) देखिए]

वचनपत्र के रूप में रहने वाले किसी बांड के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का फ़ार्म ।

इसके बदले में ————————(धारक का नाम) को देय एक नवीकृत वचनपत्र प्राप्त हुआ जिसका ब्याज कृषि पुनर्वित्त निगम———————— द्वारा अदा किया जाएगा ।

धारक/————————(धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फार्म II

[विनियम 16(1) देखिए]

वचनपत्र के रूप में रहने वाले किसी बांड के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का फ़ार्म ।

इसके बदले में ————————(धारक का नाम) को देय क्रमशः ————————रुपयों के———————— वचनपत्र प्राप्त हुए जिनका ब्याज कृषि पुनर्वित्त निगम———— ————————द्वारा अदा किया जाएगा ।

धारक/————————(धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फार्म III

[विनियम 16(1) देखिए]

वचनपत्र के रूप में रहने वाले बांडों के समेकन के लिए पृष्ठांकन का फ़ार्म ।

इसके बदले में————————संख्या (ओं) वाले वचनपत्र /वचनपत्रों (यहां उन अन्य वचनपत्रों की संख्याएं और राशियां बतायी जाएं जिनका इसके साथ समेकन वांछित हो और निर्गम का विशेष उल्लेख किया जाए) से समेकित ————————(धारक का नाम) को देय ————————रुपयों का एक नया वचन पत्र प्राप्त हुआ जिसका ब्याज कृषि पुनर्वित्त निगम————————द्वारा अदा किया जाएगा ।

धारक/————————(धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फार्म IV

[विनियम 16(2) देखिए]

इन लिखितों के जरिये सर्वविदित हो कि हम*————
सुपुत्र ————निवासी ————
और** ————सुपुत्र ————
निवासी ————और ————
सुपुत्र ————निवासी ————
इसके जरिये स्वयं को और हममें से प्रत्येक, हमारे और हममें से प्रत्येक के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, और प्रतिनिधियों को और उन सब को संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 द्वारा गठित कृषि पुनर्वित्त निगम (जिसे इसके बाद "उक्त निगम" कहा गया है) के प्रति, उक्त निगम, उसके अटानियों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को ———— रुपये की अदायगी के लिए आबद्ध करते हैं ।

*प्रधान निष्पादक **जामिन

और मैं / हममें से प्रत्येक अर्थात् उक्त———— उक्त निगम से प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि बम्बई के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में इस दायित्व अथवा निम्नलिखित किसी शर्त के सन्दर्भ में कोई दावा पेश किया जायगा तो वह बम्बई स्थित उक्त निगम के निर्देशानुसार, जो भी ऐसे दावे के लिए एक पार्टी हो, उक्त उच्च न्यायालय द्वारा बम्बई में अपने विशेष मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र में यथास्थिति, लिया, सुना और निपटाया जा सकता है ।

अतः उक्त ————————(क) ने इसकी अनुसूची में उल्लिखित उक्त निगम द्वारा जारी किये गये बांड (बांडों) के नवीकरण/समेकन/उप-विभाजन के लिए उक्त निगम को आवेदन किया है,

और यतः उक्त निगम ने उक्त———— (क) के दो अच्छे और पर्याप्त जामिनों के साथ उपरोक्त लिखित बांड को इसके नीचे लिखित शर्तों के अधीन भरने और निष्पादित करने की स्थिति में उक्त आवेदन को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमती और स्वीकृति दी है :

और यतः उक्त आबद्ध———— (और) ————*ने उक्त———— (क)

*यदि दो जामिन हों

के अनुरोध पर ————(क) के लिए जामिन होना और उक्त ———— (क) के साथ मिलकर उपरोक्त लिखित बांड का निष्पादन करना स्वीकार किया है ।

(क) प्रधान निष्पादक

अब उपरोक्त लिखित बांड की शर्त यह है कि उपरोक्त आबद्ध ———— (ख) या उन में से प्रत्येक या उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि या उन में से कोई भी या कोई एक समय-समय पर और इसके बाद हर समय, उक्त निगम द्वारा जारी किये गये इस में दी गयी अनुसूचियों में उल्लिखित बांड (बांडों) अथवा उस पर (उन पर) मिलने वाले किसी ब्याज का हकदार होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों और अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा उक्त बांड (बांडों) या उसके (उनके) नवीकरण या उसके (उनके) ब्याज की अदायगी के लिए किये गये दावों और मांगों से और उनके विरुद्ध तथा ऐसी सभी क्षतियों, हानियों, परिव्ययों, प्रभारों और खर्चों से जो कि उक्त निगम को ऐसे किसी दावे या मांग के फलस्वरूप या उसके संदर्भ में उपर्युक्त प्रकार से नवीकृत बांड जारी कर देने के कारण या उक्त बांड (बांडों) या नवीकृत बांड (बांडों) पर देय किसी ब्याज की अदायगी कर देने से उठानी पड़े, करने पड़े या जिनके लिए उसे दायी होना पड़े, उक्त निगम का प्रभावी ढंग से बचाव करेंगे, उसे प्रतिरक्षित करेंगे, हानि से बचायेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे तो उपरोक्त लिखित बांड निष्प्रभावी हो जायेगा, परन्तु अन्यथा यह पूर्णरूपेण लागू और प्रभावी रहेगा ।

(ख) प्रधान निष्पादक और (क) के जामिनों के नाम

———— और ————

की उपस्थिति में ————द्वारा हस्ताक्षर किये गये और सौंपा गया ।

तारीख :

इस में उल्लिखित अनुसूची

बांड का स्वरूप और विवरण	संख्या	निर्गम की तारीख	राशि

फार्म V

हस्तान्तरण का फार्म

[विनियम 3 (3) देखिये]

मैं/हम ————इसके द्वारा ———— के ————प्रतिशत वाले कृषि पुनर्वित्त निगम के बांडों के अंकित स्टाक के अपने हित/हिस्से को जिसकी राशि रु० ————है

जो इस लिखित पर मुखांकित————रुपयों के स्टाक की राशि/का एक अंश है, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित ————को, उसके/उनके निष्पादकों, प्रशासकों या समनुदेशितियों को सौंपता हूं/सौंपते हैं और हस्तान्तरित करता हूं/करते हैं, और मैं/हम ———— उपर्युक्त स्टाक का अपने नाम पर हस्तान्तरण किया जाना या जिस सीमा तक उसका हस्तान्तरण किया गया हो उस सीमा तक उसे निर्बाध रूप से स्वीकार करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम* ————इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि इसके द्वारा मुझे/हमें हस्तान्तरित किये गये स्टाक के धारक/धारकों के रूप में मेरे/हमारे* रजिस्टर कर दिये जाने पर पूर्वोक्त स्टाक प्रमाणपत्र*/पत्रों या पूर्वोक्त स्टाक प्रमाणपत्र के जिस अंश तक वह मुझे*/हमें हस्तान्तरित किया गया हो उस अंश को मेरे/हमारे* नाम (मों) पर नवीकृत/रूपान्तरित कर दिया जाए ।

**मैं/हम* ————इसके द्वारा अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त हस्तान्तरी/हस्तान्तरिओं के, इसके द्वारा उसे/उन्हें हस्तान्तरित किये गये स्टाक के धारक (कों) के रूप में रजिस्टर कर दिये जाने पर, पूर्वोक्त स्टाक प्रमाणपत्र का जो अंश उसे/उन्हें हस्तान्तरित नहीं किया गया हो उसे मेरे/हमारे नाम पर नवीकृत कर दिया जाए ।

इसके साक्षी के रूप में† ———— की उपस्थिति में ————दिन ————माह सन् एक हजार नौ सौ————को उपर्युक्त हस्तान्तरक ने हस्ताक्षर किये ।

(हस्तान्तरक)

पता ————

(हस्तान्तरी) ————

पता ————

†————

की उपस्थिति में उपर्युक्त हस्तान्तरी ने हस्ताक्षर किये ।

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दिया जाए ।

**इस पैराग्राफ को तभी उपयोग में लाया जाए जबकि प्रमाणपत्र का केवल आंशिक रूप से हस्तान्तरण किया जाता हो ।

†गवाह के हस्ताक्षर, व्यवसाय और पता ।

फार्म VI

[विनियम 16 (ग) देखिये]

स्टाक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का फार्म ।

"इसके बदले में————प्रतिशत वाले कृषि पुनर्वित्त निगम बांडों————का———— रुपयों का एक नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जो———— ————के नाम पर है और जिसका

ब्याज कृषि पुनर्वित्त निगम———————————
द्वारा अदा किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकृत धारक/ ———————————
(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)
के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

फार्म VII

[विनियम 16 (ग) देखिये]

स्टॉक प्रमाणपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का फार्म ।

इस स्टाक प्रमाणपत्र के बदले में,———————————
प्रतिशतवाले कृषि पुनर्वित्त निगम बांडों———————————
के क्रमशः ———————————रुपयों के ———————————
स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए जिनका ब्याज कृषि पुनर्वित्त निगम
——————————— द्वारा अदा किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकृत धारक/ ———————————
(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)
के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधिके हस्ताक्षर ।

फार्म VIII

[विनियम 16 (ग) देखिये]

स्टाक प्रमाणपत्रों के समेकन के लिए पृष्ठांकन का फार्म ।

———————प्रतिशत वाले कृषि पुनर्वित्त निगम बांडों
———————के क्रमशः ———————रुपयों
के ———————संख्याओं वाले स्टाक प्रमाणपत्रों के
बदले में ———————प्रतिशत वाले कृषि पुनर्वित्त
निगम बांडों ———————का ———————
रुपयों का एक स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जिसका ब्याज कृषि
पुनर्वित्त निगम द्वारा अदा किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकृत धारक/ ———————————
(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)
के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

फार्म IX

[विनियम 16 (घ) देखिये]

स्टाक प्रमाणपत्रों को वचनपत्रों में रूपान्तरित करने के लिए पृष्ठांकन का फार्म ।

इस प्रमाणपत्र के बदले में प्रति वचनपत्र———————————
रुपयों वाले ———————————वचनपत्र
(और साथ में, शोष ———————————
———————————रुपयों के लिए एक नया
स्टाक प्रमाणपत्र)प्राप्त हुए जिनका ब्याज कृषि पुनर्वित्त निगम
——————————— द्वारा अदा किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकृत धारक/ ———————————
(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)
के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

फार्म X

[विनियम 5 (2) देखिये]

स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किये गये बांड के नवीकरण की रसीद का फार्म ।

इसके बदले में ———————————के नाम
———————————रुपयों के लिए ———————————
प्रतिशत वाले कृषि पुनर्वित्त निगम बांडों———————————
का एक नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, जिसका ब्याज कृषि
पुनर्वित्त निगम ———————————द्वारा
अदा किया जाएगा ।

———————————
(रजिस्ट्रीकृत धारक के हस्ताक्षर)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1971

सं० 2/71—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निगम के संचालक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के बाद तथा भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विनियम (बांड निर्गमन तथा प्रबन्ध), 1949 को पुनः संशोधित करके निम्नलिखित विनियम बनाये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

1. इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का निर्गमन तथा प्रबन्ध) संशोधन विनियम, 1971 कहा जायेगा ।

2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विनियम (बांड निर्गमन तथा प्रबन्ध), 1949 को (आगे-इन विनियमों को इसी नाम से पुकारा जायेगा), इनके विनियम 2 में–

(i) खण्ड (झ) में, "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" शब्दों के बाद "अथवा बैंक को कार्यालय" शब्द जोड़ दिये जायेंगे ,

(ii) खण्ड (ञ) में, –

(क) "निगम के अधिकारी" शब्दों के बाद" अथवा बैंक के अधिकारी" शब्द जोड़ दिये जायेंगे,

(ख) "निगम का संचालक बोर्ड" शब्दों के बाद "अथवा बैंक का संचालक बोर्ड, जैसा भी मामला हो" शब्द जोड़ दिये जायेंगे,

(iii) खण्ड (ञ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"(ट)" स्टाक प्रमाण पत्र" का अर्थ विनियम 3 के अधीन जारी किया गया स्टाक प्रमाण पत्र होगा" ।

3. इन विनियमों में विनियम 3 के लिये निम्नलिखित विनियम विस्थापित किया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"3. बांड का रूप तथा तदनुसार हस्तांतरण विधि, आदि ।

(1) बांड का निर्गमन इन रूपों में किया जा सकता है—

(क) किसी व्यक्ति को देय वचनपत्र, अथवा आदेश द्वारा देय, अथवा

(ख) निगम अर्थवा बैंक के खातों में दर्ज स्टाक के लिये प्रमाण पत्र ।

(2) (i) वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड पृष्ठांकन तथा-परिदान से आदेश द्वारा देय के समान हस्तांतरणीय होगा ।

(ii) वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड पर कोई भी लिखावट वार्तालाप के लिये वैध नहीं होगी, यदि यह लिखावट बांड में अंकित मूल्य के कुछ भाग के हस्तांतरण से सम्बन्धित है ।

(3) स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित तथा निगम अथवा बैंक के खातों में दर्ज बांड का हस्तांतरण प्रपत्र । के निष्पादन द्वारा होगा । यह हस्तांतरण पूर्ण या आंशिक हो सकता है । इस स्थिति में स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बांड हस्तांतरक के पास रहेगा, जब तक हस्तांतरी का नाम निगम अथवा बैंक द्वारा अपने खातों में दर्ज नहीं कर लिया जाता ।

(4) (i) बांड निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से निर्गमित किया जायेगा, जो निगम के निदेश से मुद्रित उत्कीर्त, अथवा लिथो मुद्रित, अथवा किसी अन्य यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा छपाया जा सकता है ।

(ii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्त, लिथो मुद्रित, अथवा अन्य प्रकार से छपाये गये हस्ताक्षर, स्वयं हस्ताक्षर कर्ता द्वारा हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान ही वैध माने जायेंगे ।

(5) किसी वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड अथवा बांड के के रूप में हस्तांतरण दस्तावेज वैध नहीं माना जायेगा जब तक धारक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि बांड के पीछे तथा स्टाक प्रमाणपत्र के मामले में हस्तांतरण दस्तावेज पर पृष्ठांकन नहीं कर दिया जाता ।"

4. इन विनियमों के विनियम 3क उपविनियम (2) में प्रयुक्त "जायेगा" शब्द "जाये" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5. इन विनियमों के विनियम 4 को पुन: क्रमित करके इसी विनियम को उपविनियम (1) कर दिया जायेगा और इसके बाद निम्नलिखित उपविनियम जोड़ दिया जायेगा :—

"(2) उपविनियम (1) के अनुबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना निगम अथवा बैंक अपने ऊपर किसी प्रकार की देयता डाले बिना रियायत के तौर पर स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बांड पर ब्याज अदायगी के लिये अथवा मूल्य परिपक्वता अथवा हस्तांतरण के लिये निगम अथवा बैंक स्वेच्छा से अन्य सम्बंधित मामलों में धारक के निवेश खातों में दर्ज कर सकते हैं ।"

6. इन विनियमों के विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ दिया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"4क स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बांडों की न्यासियों तथा पद धारको द्वारा रखने की व्यवस्था ।"

(1) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बांड पद धारक द्वारा रखा जा सकता है —

(क) निगम अथवा बैंक के खातों में उल्लिखित अनुसार उसके निजी नाम में, आवेदन में उल्लिखित न्यासी के तौर पर अथवा ऐसे किसी वर्गीकरण के बिना न्यासी के नाम, अथवा

(ख) उसके पद के नाम ।

(2) निगम अथवा बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निगम अथवा बैंक को उस कामिक द्वारा जिसके नाम बांड है आवेदन देने पर अथवा बांड के छोड़ने पर, निगम अथवा बैंक—

(क) उसे विशेष न्यास का न्यासी उल्लिखित करते हुए अथवा विशेष न्यास का न्यासी के उल्लेख बिना उसके नाम न्यासी के तौर पर अथवा न्यास के उल्लेख बिना, जैसा भी मामला हो, खातों में उल्लेख कर स्टाक प्रमाणपत्र निर्गमित कर सकते हैं, अथवा

(ख) उसे उसके पद के नाम आवेदक के निवेदन पर उसके पद को स्टाक का धारक के रूप में दर्ज कर, स्टाक का प्रमाणपत्र निर्गमित कर सकते हैं,

(i) निवेदन उपविनियम (1) के अनुबन्धों के अनुसार हो,

(ii) निगम अथवा बैंक द्वारा उपविनियम (7) के अधीन मांगी गई आवश्यक साक्षी दे दी गई हो और,

(iii) यदि बांड वचनपत्र के रूप में निगम को पृष्ठांकित है और पंजीकृत धारक ने इसे स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में प्रपत्र-2 में प्राप्त कर लिया है ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन पदधारी द्वारा अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ अथवा संयुक्त रूप से जो पदधारी हैं, स्टाक प्रमाणपत्र को रख सकते हैं ।

(4) जब स्टाक प्रमाणपत्र एक व्यक्ति के पास है, जो उसके पदनाम में है, वह व्यक्ति कुछ समय के लिये अपने निजी नाम की तरह ही सम्बन्धित दस्तावेज को निष्पादित कर सकता है ।

(5) जब कोई हस्तांतरण विलेख, वकालत नामा अथवा अन्य कोई दस्तावेज निगम अथवा बैंक के खातों में उल्लिखित अनुसार वैध हो, निगम अथवा बैंक के खातों के अनुसार न्यासी अथवा पद का धारक के तौर पर ऐसा दस्तावेज निगम अथवा बैंक को प्रस्तुत किया जाये तो निगम अथवा बैंक उससे वास्ता न रखते हुए उसकी जांच न करेंगे कि न्यास के नियमों के अनुसार ऐसा धारक उसका वास्तविक हकदार है या नहीं जो कि न्यास की शर्तों के अनुसार अथवा दस्तावेज या नियमों से प्राप्त अधिकार अथवा विलेख के निष्पादन अनुसार अथवा अन्य दस्तावेज जो हस्तांतरण विलेख पर प्रभाव डाले, वकालतनामा अथवा वह स्टाक प्रमाण-पत्रधारी जिसका उल्लेख हस्तांतरण विलेख, वकालतनामे अथवा न्यासी अभिलेख में नहीं है, जो

हस्तांतरण विलेख, वकालतनामा अथवा न्यासी की हैसियत से अथवा पदधारी के रूप में है ।

(6) इस विनियम की धाराओं के अनुसार कोई न्यासी अथवा पदधारी अथवा किसी अन्य न्यासी के मध्य अथवा न्यास के धारियों तथा हितबद्धों अथवा किसी दस्ताधिज की शर्तों द्वारा पदधिकारी नियमों के अनुरूप उस न्यास अथवा पर लागू होते हैं, से विरोध नहीं है, ऐसी अवस्था में न तो निगम और न ही बैंक, न कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास प्रमाणपत्र है अथवा उसका उस में कोई हित है, तो वह निगम अथवा बैंक के खातों में दर्ज प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाणपत्र धारी अथवा प्रमाणपत्र से सम्बन्धित किसी अन्य दस्तावेज में कोई संदर्भ, तो किसी न्यास अथवा स्टाक प्रमाणपत्र धारी का न्यासवत चरित्र अथवा किसी स्टाक प्रमाणपत्र से बद्ध देयता निगम अथवा बैंक के खातों के उल्लेख अनुसार ही मान्य होगी ।

(7) किसी आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही करने से पहले अथवा इस विनियम के अनुसार किसी एक पद के धारी द्वारा इस सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावेज के लिये निगम अथवा बैंक ऐसे व्यक्ति के उस समय के पदधारी होने का प्रमाण मांग सकते है ।"

7. इन विनियमों में विनियम 6 के लिये निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"6. ब्याज की अदायगी —

(1) वचनपत्र के रूप में जारी बांड पर ब्याज निर्गमन करने वाले कार्यालय अथवा निगम अथवा बैंक के किसी कार्यालय द्वारा बांड विवरण पत्रिका में दी गई औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अदा किया जायेगा ।

(2) उप-विनियम (1) पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड पर ब्याज बैंक के किसी कार्यालय में देय हो तो अधिपत्र देने से निगम अथवा बैंक अदा कर सकते हैं ।

(3) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी बांड पर ब्याज निगम अथवा बैंक के द्वारा जारी किये वारन्ट पर निगम अथवा बैंक के स्थानीय कार्यालय द्वारा देय है तो ब्याज की अदायगी के समय स्टाक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है आदाता को वारन्ट के पीछे पावती देनी होगी ।"

8. इन विनियमों के विनियम 7 में :—

(i) इस शीर्षक के लिये, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"वचन पत्र के रूप में बांड आदि खो जाने पर व्यवस्था ।"

(ii) उप-विनियम (3) में "निगम का कार्यालय" शब्दों के बाद "अथवा बैंक का कार्यालय" शब्द जोड़ दिये जायेंगे ।

9. इन विनियमों के विनियम 8 में, "एक बांड अथवा कुछ अंश" शब्दों के बाद "वचनपत्र के रूप में" शब्द जोड़ दिये जायेंगे ।

10. इन विनियमों के विनियम 9 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ दिया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"9क वचनपत्र के रूप में बांड आदि खो जाने पर व्यवस्था ।

(1) किसी प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी, नष्ट, विकृत होने अथवा आंशिक व पूर्ण रूप से मिट जाने की अवस्था में, अनुलिपि लेने के लिए आवेदन पत्र निर्गमन करने वाले कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जिसके साथ—

(क) जिस पत्र के साथ पम व्यवहार काल में स्टाक प्रमाणपत्र खो गया है, उसकी डाक पंजीकरण रसीद,

(ख) यदि चोरी हो जाने की अवस्था में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,

(ग) इस आशय का मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित हलफनामा कि आवेदक स्टाक प्रमाण-पत्र का वैधिक हकदार है और न यह प्रमाणपत्र उसके अधिकार में है और न ही उसने इसे किसी को हस्तांतरित, गिरवी, अथवा अन्य रूप में से दिया है, और

(घ) खो जाने, चोरी होने, नष्ट होने, विकृत अथवा मिट जाने बाद स्टाक प्रमाणपत्र के बचे हुए कुछ टुकड़े ।

(2) हानि होने की सारी स्थितियों का उल्लेख आवेदन पत्र में कर दिया जायेगा ।

(3) यदि निर्गमन करने वाला कार्यालय इस प्रकार की हानि, चोरी, विनाश, विकृति, अथवा मिट जाने से आश्वस्त हैं, तो मूल के बदले में स्टाक प्रमाण पत्र की अनुलिप जारी कर सकते हैं ।"

11. इन विनियमों के विनियम 12 में —

(क) शीर्षक के लिये, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"जब वचन पत्र के रूप में बांड का नवीकरण जरूरी हो ।"

(ii) उप-विनियम (1) के शुरू के पैराग्राफ में "बांड" शब्द के बाद "वचन-पत्र के रूप में" (आगे इस विनियम में बांड कहा जायेगा), शब्द जोड़ दिये जायेंगे ।

12. इन विनियमों में विनियम 14 के लिये निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, जो इस प्रकार है :—

"(i) नवीकरण के लिए आवती, आदि: विहित अधिकारी के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अनुरूप निर्गमन करने वाला कार्यालय अपने आदेश से धारक के आदेदन पर—

(क) वचन पत्र अथवा पत्रों के रूप में बांड अथवा बांडों के सुपर्द कर देने पर, निर्गमन करने वाला कार्यालय उसके दावे के बारे में आश्वस्त होने पर वचन पत्र अथवा पत्रों का नवीकरण, उपखंडन अथवा संचन कर सकता है परन्तुक यह कि जैसा भी मामला हो, वचन पत्र अथवा पत्रों की आवती प्रपत्र, 3, 4 अथवा 5 में हुई हो, अथवा

(ख) वचन पत्र अथवा पत्रों का स्टाक प्रमाण पत्र अथवा पत्रों में बदलना, परन्तुक यह कि वचन पत्र अथवा पत्रों का पृष्ठांकन निम्न प्रकार से किया जाये :—

"भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को देय, या

(ग) स्टाक प्रमाण पत्र या पत्रों का नवीकरण, उपखण्डन अथवा संचन परन्तुक कि जैसा भी मामला हो, स्टाक प्रमाण पत्र या पत्रों की आवती प्रपत्र 6, 7 अथवा 8 प्रपत्र में हुई हो, अथवा

(घ) स्टाक प्रमाण पत्र या पत्रों वचन पत्र या पत्रों में बदलना, परन्तुक यह कि स्टाक प्रमाण पत्र या पत्रों की आवती प्रपत्र 9 में हुई हो, अथवा

(ङ) एक ऋण के बांडों का दूसरे में बदलना, परन्तुक

(i) एक ऋण का दूसरे ऋण में संपरिवर्तन हो सकता है, और

(ii) इस संपरिवर्तन से सम्बद्ध शर्तों का पालन किया जाये ।

(2) विहित अधिकारी के आदेश से निर्गमन करने वाला कार्यालय आवेदक से नवीकरण, उपखण्डन अथवा संचन के लिये उप-विनियम (1) के अधीन प्रपत्र-10 में उस द्वारा अनुमोदित एक अथवा अधिक साक्षियों के देने पर बांड निष्पादित कर सकते हैं ।"

13. इन विनियमों के विनियम 19 में "निगम का कार्यालय" शब्दों के बाद "अथवा बैंक का कार्यालय" शब्द जोड़ दिये जायेंगे ।

14. इन विनियमों के साथ लगे प्रपत्रों की अनुसूची में—

(1) प्रपत्र 1, 2 और 3 के लिये निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं :—

प्रपत्र —1 :

[विनियम 3 (3) देखिये]

मैं/हम————————————अपने/हमारे ब्याज अथवा शेयर जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के———— प्रतिशत के——————रुपये के मूल्य के हैं । यह———— रुपये के स्टाक प्रमाण पत्र की राशि/भाग प्रोद्भूत ब्याज सहित, जिसका उल्लेख इस दस्तावेज में दिया है, उसके/उनके———— कार्यपालक/प्रशासक अथवा नामित को सौंपता तथा हस्तांतरित करता हूं/करते हैं, और मैं/हम——————————स्वेच्छा से उपरोक्त प्रमाण पत्र को मुझे/हमें हस्तांतरित राशि की सीमा तक————————को हस्तांतरित स्वीकार करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम——————————————निवेदन करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे पंजीकृत धारक होने के नाते अपने/हमारे उपरोक्त स्टाक प्रमाण पत्र/पत्रों को इस में उल्लिखित राशि तक जो मुझे/हमें हस्तांतरित हुआ है, मेरे/हमारे नाम में नवीकरण/संपरिवर्तित कर दिया जाये ।

**मैं/हम——————————————निवेदन करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त हस्तांतरी जो हस्तांतरित स्टाक प्रमाण पत्र का पंजीकृत धारक है जिस राशि का हस्तांतरण उसके/उनके नाम हुआ है, वह मेरे/हमारे नाम नवीकरण कर दिया जाये ।

दिनांक——————सन————को उपरोक्त हस्तांतरी ने*——————————(हस्तांतरक) की उपस्थिती में हस्ताक्षर किये ।

पता————————

हस्तांतरी————————

पता————————

*————————————की उपस्थिती में उपरोक्त हस्तांतरी ने हस्ताक्षर किये

नोट : जो पर्याय उचित न हो छोड़ दीजिये

** इस पैराग्राफ का प्रयोग तभी करना है जब कि स्टाक प्रमाण पत्र का आंशिक हस्तांतरण किया जाये ।

*साक्षी के हस्ताक्षर, व्यवसाय और पता ।

प्रपत्र—2

[विनियम 4क (2) देखिये]

स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बांड के नवीकरण के लिये आवती प्रपत्र ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया——————द्वारा ब्याज सहित देय———— के——————निगम के बांडों के बदले में नवीकृत स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ ।

————————————

(पंजीकृत धारक का नाम और हस्ताक्षर)

प्रपत्र—3

[विनियम 14 (1) (क) देखिये]

स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बांड के नवीकरण के लिये प्रपत्र ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया——————द्वारा ब्याज सहित देय————

निगम के बांडों के बदले में नवीकृत वचन पत्र प्राप्त हुआ ।
धारक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम तथा हस्ताक्षर————
(धारक का नाम)

प्रपत्र–4

(विनियम 14 (1) (क) देखिये)

वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड के उपखण्डन के लिए पृष्ठांकन प्रपत्र।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया—————————द्वारा ब्याज सहित देय——निगम के ——————————रुपये के बांडों के बदले में—————————— वचन पत्र ——————————रुपये के मूल्य के प्राप्त हुए।

धारक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम तथा हस्ताक्षर————

प्रपत्र–5

(विनियम 14 (1) (क) देखिये)

वचन पत्रों के रूप में निर्गमित बांडों के संचन के लिए पृष्ठांकन प्रपत्र

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ——————————द्वारा ब्याज सहित देय———— निगम के ——————————रु० के बांडों—————— (अन्य वचन-पत्रों की राशि तथा संख्याओं का उल्लेख कर दिया जाये जिनका संचन करवाना है) के बदले वचन पत्र प्राप्त हुआ।

धारक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम ——————————
तथा हस्ताक्षर (धारक का नाम) ——————————

प्रपत्र–6

(विनियम 14 (1) (ग) देखिये)

स्टाक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ——————————द्वारा ब्याज सहित देय———— के नाम ——————————प्रतिशत के निगम के———— रुपये के बांडों के बदले में नवीकृत बांड प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

धारक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम तथा हस्ताक्षर (धारक का नाम)

———————

प्रपत्र–7

स्टाक प्रमाणपत्र के उपखण्डन के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया——————द्वारा ब्याज सहित देय———— के——————रुपये के स्टाक प्रमाणपत्रों के बदले में यह स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

पंजीकृत धारक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
हस्ताक्षर (पंजीकृत धारक का नाम)——————————

प्रपत्र–9

(विनियम 14 (1) (घ) देखिये)

स्टाक प्रमाण पत्रों को वचन पत्रों में संपरिवर्तन कराने के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ——————————द्वारा ब्याज सहित देय———— के——————————रुपये के भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के इस प्रमाण पत्र के बदले (——————रुपये की शेष राशि के लिये नये प्रमाण पत्र सहित) वचन पत्र प्राप्त हुए।

पंजीकृत धारक/अधिकृत प्रकृतिनिधि का——————
नाम तथा हस्ताक्षर (पंजीकृत धारक का नाम)

(2) वर्तमान प्रपत्र–4 की संख्या बदल कर प्रपत्र –10 कर दी जायेगी, और इस प्रपत्र–10 में–

(i) दूसरे पैराग्राफ में "चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार" शब्दों के लिये "दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) तीसरे पैराग्राफ में—

(क) "निगम, दिल्ली" के स्थान पर "निगम/बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, और

(ख) "इस निगम" शब्दों के स्थान पर "इस निगम/बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

चरन दास खन्ना,
अध्यक्ष

STATE BANK OF INDIA

Central Office

NOTICE

Bombay, the 18th May 1971

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri D. R. Sampathkrishnan has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office staff as from the 18th May 1971.

T. R. VARADACHARY
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 14th May 1971

No. 4CA(1)/4/71-72.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from 13th January, 1971, the name of Shri Vishnu Vithal Sohoni, A.C.A., of Shopkeepers' Sovanis Janam Niwas House, Ambutai Mehendale Road, Radhakrishna Extension, Sangli (Membership No. 128).

No. 4-*CA*(1)/5/71-72—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute at their own request, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:—

S. No.	Member-ship No.	Name and Address	Date of Removal
1.	1794	Shri V. Narayana Aiyer, 4, Magan Vihar, Matunga, Bombay-19.	31-3-1971
2.	6699	Shri John Heward Black, 6-A, Middleton Street, Calcutta-16.	29-3-1971

No. 8-*CA*(1)/2/71-72—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 19 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	Member-ship No.	Name and Address	Period during which the Certificate shall stand cancelled
1.	8422	Shri P. Raghuveera Rao, A.C.A., Syndicate Bank Limited, Regd. Office, Manipal (S. K.)	7-4-71 to 30-6-71
2.	10190	Shri Bharat B. Bhatt, A.C.A., 54, Balasinor Society, Swamy Vivekanand Road, Kandivlee (West), Bombay-67.	17-4-71 to 30-6-71
3.	11613	Shri M. Ganesan, A.C.A., C/o M/s. K. S. Ramaswamy Iyer, 34, Nammalwar Street, Madras-1.	31-3-71 to 30-6-71

C. BALAKRISHNAN
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

CORRIGENDUM

Ahmedabad, the 17th May 1971

No. G/C.B.I/228/70.—In partial modification of this office Notification of even number dated 26-6-1970 the name of Local Office appearing against Item No. 8 may be read as Local Office Cambay in place of Local Office Petlad.

By Order
KULWANT SINGH
Regional Director &
Secretary, Gujarat Regional Board,
E.S.I. Corporation, Ahmedabad

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 7th May 1971

No. 2/71.—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, (XV of 1948), the Board of directors of the Industrial Finance Corporation of India, after consultation with the Industrial Development Bank of India and with the previous sanction of the Central Govenment, hereby makes the following regulations further to amend the Industrial Finance Corporation (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1949, namely :—

1. These regulations may be called the Industrial Finance Corporation (Issue and Management of Bonds) Amendment Regulations, 1971.

2. In the Industrial Finance Corporation (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1949 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2,—

(i) in clause (i), after the words "the Industrial Finance Corporation of India", the words "or office of the Bank" shall be inserted;

(ii) in clause (j),—

(a) after the words "officers of the Corporation", the words "or of the Bank" shall be inserted;

(b) after the words "Board of Directors of the Corporation", the words "or the Bank, as the case may be" shall be inserted;

(iii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :—

"(k) "Stock certificate" means a stock certificate issued under regulation 3."

3. For regulation 3 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"3. Form of bond and the mode of transfer thereof, etc.

(1) A bond may be issued in the form of—

(a) a promissory note payable to, or to the order of, a certain person; or

(b) a stock certificate for stock registered in the books of the Corporation or the Bank.

(2) (i) A bond issued in the form of a promissory note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory not payable order.

(ii) No writing on a bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the bond.

(3) A bond issued in the form of a stock certificate and registered in the books of the Corporation or the Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form I. The transferor in such a case shall be deemed to be the holder of the bonds issued in the form of stock certificate to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the Corporation or the Bank.

(4) (i) A bond shall be issued over the signature of the Chairman of the Corporation which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanical process as the Corporation may direct.

(ii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

(5) No endorsement of a bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a bond or in the form of stock certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a bond in the form of a promissory note on the back of the bond itself and in the case of a stock certificate on the instrument of transfer."

4. In sub-regulation (2) of regulation 3A of the said regulations, for the word "shall", the word "may" shall be substituted.

5. Regulation 4 of the said regulations shall be renumbered as sub-regulation (1) of that regulation and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1) the Corporation or the Bank may, as an act of grace and without liability to the Corporation or the Bank, record in its books such directions by the holder of the bond issued in the form of the stock certificate for the payment of interest on, or of the maturity value of, or for the transfer of, or such matters relating to, the stock certificate as the Corporation or the Bank thinks fit.".

6. After regulation 4 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"4A Provision for holding bonds issued in the form of stock certificate by trustees and office holders".

(1) A bond in the form of stock certificate may be held by a holder of an office—

(a) in his personal name, described in the books of the Corporation or the Bank and in the stock certificate, as a trustee, whether as a trustee, of the trust specified in his application or as a trustee without any such classification, or

(b) by name of his office.

(2) On an application made in writing to the Corporation or the Bank in the form required by the Corporation or the Bank by the personnel in whose name a bond stands and on surrender of the bond, the Corporation or the Bank may—

(a) make an entry in their books describing him as a trustee of a specified trust or as a trustee without specification of any trust and issue a stock certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust, as the case may be, or

(b) issue a stock certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the stock by the name of his office, according to the applicants request, provided—

(i) the request is in conformity with the provisions of the sub-regulation (1),

(ii) the necessary evidence required by the Corporation or the Bank in terms of sub-regulation (7) has been furnished; and

(iii) the bond if it is in the form of promissory note has been endorsed in favour of the Corporation and if in the form of a stock certificate has been receipted by the registered holder in Form—II.

(3) The stock certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons with a person or persons holding an office.

(4) When the stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the stock certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the stock certificate is held as if his personal name were so stated.

(5) Where any transfer deed, power-of-attorney or other document purporting to be executed by a stock certificate holder described in the books of the Corporation or the Bank as a trustee or as a holder of an office is presented to the Corporation or the Bank, the Corporation or the Bank shall not be concerned to inquire whether the stock certificate holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is a stock certificate holder and whether the stock certificate holder is or is not described in the transfer deed, power-of-attorney or document as a trustee or as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power-of-attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.

(6) Nothing in this regulations shall, as between any trustees or office holders, or as between any trustees or office holders and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument constituting the trust, or the rules governing the association of which the stock certificate holder is a holder of an office and neither the Corporation nor the Bank nor any person holding or acquiring any interest in any stock certificate shall, by reason only of any entry in any register maintained by the Corporation or the Bank in relation to any stock certificate or any stock certificate holder or of anything in any document relating to stock certificate, be effected with notice of any trust or of the fiduciary character of any stock certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any stock certificate.

(7) Before acting on any application made, or of any document purporting to be executed, in pursuance of this regulation by a person as being the holder of any office, the Corporation or the Bank may require the production of evidence that such person is the holder for the time being of that office".

7. For regulation 6 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"6. Repayment of interest—

(1) Interest on a bond in the form of a promissory note shall be paid by the office of issue or any other office of the Corporation or office of the Bank, specified in the bond prospectus subject to compliance by the holder of the bond with such formalities as the Corporation or the Bank may require, on presentation of the bond.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Corporation or the Bank may pay interest on a bond in the form of a promissory note, the interest on which is payable at any other office of the Bank, by an Interest Warrant payable at such office.

(3) Interest on a bond in the form of a stock certificate shall be paid by warrants issued by the Corporation or the Bank and payable at the local office of the Corporation or the Bank. The presentation of the stock certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant."

8. In regulation 7 of the said regulations—

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Procedure when a bond in the form of a promissory note is lost, etc.";

(ii) in sub-regulation (3), after the words "the office of the Corporation", the words "or the office of the Bank" shall be inserted.

9. In regulation 8 of the said regulations, after the words "a bond or portion of a bond", the words "in the form of a promissory note" shall be inserted.

10. After regulation 9 of the said regulations the following regulation shall be inserted, namely :—

"9A. Procedure when a bond in the form of a stock certificate is lost, etc.

(1) Every application for the issue of a duplicate stock certificate in place of a stock certificate which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either wholly or in part shall be addressed to the office of issue and shall be accompanied by—

(a) the post office registration receipt of the letter containing the stock certificate, if the same was lost in transmission by registered post;

(b) a copy of the police report, if the loss or theft was reported to the police;

(c) an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the stock certificate and that the stock certificate is neither in his possession nor has it been transferred, pledged or otherwise dealt with by him; and

(d) any portions or fragments, which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced stock certificate.

(2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.

(3) The office of the issue shall, if it is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the stock certificate, issue a duplicate stock certificate in lieu of the original certificate."

11. In regulation 12 of the said regulations

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"When a bond in the form of a promissory note is required to be renewed";

(ii) in sub-regulation (1), in the opening paragraph, after the word "bond", the words and brackets "in the form of a promissory note" (hereinafter in this regulation referred to as bond) shall be inserted.

12. For regulation 14 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"(1) Receipt for renewal, etc :
Subject to any general or special instructions of the prescribed officer, the office of issue may, by its order, on the application of the holder—

(a) on his delivering the bond or bonds in the form of a promissory note or promissory notes and on his satisfying the office of issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the promissory note or promissory notes, provided the promissory note or promissory notes has or have been receipted in Form III, Form IV or Form V, as the case may be; or

(b) convert the promissory note or promissory notes into stock certificate or certificates, provided the promissory note or promissory notes has or have been endorsed as follows :—

"Pay to the Industrial Finance Corporation of India"; or

(c) renew, sub-divide or consolidate a stock certificate or stock certificates, provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form VI, Form VII or Form VIII, as the case may be; or

(d) convert the stock certificate or stock certificates into promissory note or promissory notes, provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form IX; or

(e) convert the bonds of one loan into those of another, provided—

(i) inter-loan conversion is permissible, and

(ii) the conditions governing such conversion are complied with.

(2) The office of issue may, under the orders of prescribed officer, required the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a bond under sub-regulation (1) to execute a bond in Form X with one or more sureties approved by him."

13. In regulation 19 of the said regulations, after the words "office of the Corporation", the words "or office of the Bank" shall be inserted.

14. In the Forms set out in the Schedule to the said regulations,—

(1) for Forms I, II and III, the following Forms shall be substituted, namely :—

"*Form I* :

[*See* Regulation 3(3)]

I/We ———— do hereby assign and transfer my/our interest or share in the inscribed stock of the ———— per cent. Industrial Finance Corporation Bonds of ———— amounting to Rs. ———— being the amount/a portion of the stock certificate for Rs. ———— as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto ———— his/her/their executors, administrators or assigns, and I/We ———— do freely accept the above stock certificate transferred ———— to the extent it has been transferred to me/us.

I/We@ ———— hereby request that on my/our@ being registered as the holder(s) of the stock certificate hereby transferred to me/us, the aforesaid stock certificate(s)@ to the extent it has been transferred to me/us@ may be renewed in my/our name(s) converted in my/our name(s)@.

**I/We@ ———— hereby request that on the above transferee(s)@ being registered as the holder(s)@ of the stock certificate hereby trans-

ferred to him/them@; the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them@ may be renewed in my/our@ name(s).

As witness our hand the ———— day of ———— One thousand nine hundred and ———— Signed by the above-named transferor in the presence of*————(Transferor).

Address ————

(Transferee) ————

Address ————

Signed by the abovenamed transferee in the presence of*————

————

@ Omit the alternative which does not apply.

** This paragraph to be used only when a portion of a stock certificate is transferred.

* Signature, occupation and address of witness.

Form II :

[*See Regulation* 4A(2)]

Form of receipt for renewal of a bond issued in the form of a stock certificate.

Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the ———— per cent Industrial Finance Corporation Bonds ———— for Rs. ———— in favour of ———— with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India.

————

————

Signature and name of the registered holder).

Form III :

[*See Reguration* 14(1)(*a*)]

Form of endorsement for renewal of a bond in the form of a promissory note.

Received in lieu hereof, a renewed promissory note payable to (name of holder) ———— with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————

Signature and name of the holder/duly authorised representative of ————

(name of holder)

Form IV :

[*See Regulation* 14(1)(*a*)]

Form of endorsement for sub-division of a bond in the form of a promissory note.

Received in lieu hereof ———— promissory notes for Rs. ———— respectively payable to (name of holder) ———— with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————

Signature and name of the holder/duly authorised representative of ————

(name of holder)

Form V :

[*See Regulation* 14(1)(*a*)]

Form of endorsement for consolidation of bonds in the form of promissory notes.

Received in lieu hereof a new promissory note payable to (name of holder) ———— for Rs. ———— by consolidation with promissory note or promissory notes numbers ———— ———— (mentioning the numbers and amounts of the other promissory notes desired to be consolidated with it and specifying the issue) with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————.

Signature and name of holder/duly authorised representative of (name of holder)

Form VI :

[*See Regulation* 14(1)(*c*)]

Form of endorsement for renewal of a stock certificate.

Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the ———— per cent Industrial Finance Corporation Bonds, ———— for Rs. ———— in the name of ———— with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————

Signature and name of the registered holder/duly authorised representative of (name of registered holder).

Form VII :

[*See* Regulation 14(1)(*c*)]

Form of endorsement for sub-division of a stock certificate.

Received in lieu of this stock certificate ———— stock certificates for Rs. ———— respectively of the ———— per cent Industrial Finance Corporation Bonds ———— with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————

Signature and name of the registered holder/duly authorised representative of (name of registered holder).

Form VIII :

[*See Regulation* 14(1)(*c*)]

Form of endorsement for consolidation of stock certificates.

Received in lieu of stock certificates Nos. ———— for Rs. ———— respectively of the ———— per cent Industrial Finance Corporation Bonds ———— a stock certificate for Rs. ———— of the ———— per cent Industrial Finance Corporation Bonds ———— with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————

Signature and name of the registered holder/duly authorised representative of (name of the registered holder)

Form IX :

[*See Regulation* 14(1)(*d*)]

Form of endorsement for conversion of stock certificates into promissory notes.

Received in lieu of this certificate ———— promissory notes of Rs. ———— each (together with a new stock certificate for the balance amounting to Rs. ————) with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India ————

Signature and name of the registered holder/duly authorised representative of (name of the registered holder)

(2) existing Form IV shall be re-numbered as Form X, and in Form X as so re-numbered—

(i) in the second paragraph, for the words "High Court of Judicature at Chandigarh", the words "High Court of Judicature at Delhi" shall be substituted;

(ii) in the third paragraph—

(a) for the words "Corporation, Delhi", the words "Corporation/Bank" shall be substituted; and

(b) for the words "said Corporation" the words "said Corporation/Bank" shall substituted.

C. D. KHANNA, *Chairman*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971